न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी–श्री गंगाधर मीणा (RAS)

मुकदमा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
21/2021	14.01.2021	13.11.2021

अनुवान

1. यशपाल पुत्र श्री रामकुवार जाति अहीर ग्राम कानी तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

वादीगण

बनाम

1. गुलाब पुत्र मामचन्द
2. जगदीश पुत्र दानचन्द
3. नरेश कुमार पुत्र प्रभुदयाल
4. रोहताश पुत्र दानचन्द
5. सुबेसिह पुत्र मामचन्द
6. सुरेश पुत्र मामचन्द
7. होतीलाल पुत्र मामचन्द
8. ग्यारसी पत्नी परमाल पुत्र दानचन्द
9. चमेली पत्नी प्रभुदयाल
10. चमेली पुत्री दानचन्द
11. मंतोश उर्फ संतोष पुत्री प्रभुदयाल
12. राजकौर पत्नी मुंशी पुत्री दानचन्द
13. सावत्री पुत्री मामचन्द जाति अहीर निवासीयान ग्राम कानी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज.
14. बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बीबीरानी जरिये शाखा प्रबन्धक, बीबीरानी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज.
15. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी लैण्ड होल्डर तहसीलदार कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर।

प्रतिवादीगण

दावा इतकारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय तकासमा वो हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955.

उपस्थित :–

1. श्री रामफल यादव अभिभाषक वादी।

आज यह पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के शिविर तिगांवा में पेश हुई। वादीगण ने मय अधिवक्ता इस न्यायालय में उपस्थित होकर एक दावा दा[illegible] मय दुरूस्ती इन्द्राज मय तकासमा वो हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 राज0 [illegible] सन् 1955. इस आशय का पेश किया कि हाल आराजी खं0सं0 [illegible] 0.2276 हैक[illegible]बिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:04:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

खाता संख्या 112 व आराजीयात हाल खसरा नम्बरान 292/0.4679, 294/0.3414 हैक्टयर मुताबिक खाता संख्या 63 मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 वाके ग्राम कानी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज. मे स्थित है। नकल जमाबन्दी संलग्न है। यह आराजी वादपत्र मे विवादित कहलायेगी।

यह है कि वादपत्र के पेरा संख्या 1 में वार्फत आराजी पक्षकारान के कब्जे काश्त की खातेदारी की जा रही है। करीब 20 वर्ष पूर्व तौर पर बाहमी बंटवारा किया जा चुका है। जो कि अपने मुताबिक बाहमी बंटवरे के अनुसार अपने –अपने हिस्से मे आई आराजी पर शान्तिपूर्वक पक्षकारान का काब्जि काश्त है। बोरिग सिचाई विद्युत कनेक्शन पुखता कायम किये हुऐ है। मिनवादी के हिस्से मे आई आराजी निम्न प्रकार है :–

खसरा नम्बर 542/0.2908

खसरा नम्बर 543/0.2908

खसरा नम्बर 552/0.2276

कुल किता 3 कुल रकबा 0.8092 हैक्टयर है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायात 13 के हिस्से मे आई आराजीयात निम्न प्रकार से है :–

खसरा नम्बर 292/0.4679

खसरा नम्बर 294/0.3414

कुल किता 2 कुल रकबा 0.8093 हैक्टयर है। इसी प्रकार मिन वादी व प्रतीवादी 1 लगायात 13 अपने उक्त हिस्से मे आई आराजीयात पर मौके पर काबिज काश्त है। खसरा नम्बर 292 व 294 के 1/2 भाग पर रामकुवांर पुत्र रामचन्द्र का अंकन गलत किया गया एवं मिन वादी के पिताजी का सही नाम रामकुमार है ना कि रामचन्द्र। इसलिए मिनवादी को आराजी खसरा नम्बर 542, 543, 552 का प्रतिवादी संख्या 1 लगायात 13 को आराजीयात खसरा नम्बर 292, 294 का खातेदार काश्त घोषित किया जाये।

दावा रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायात 13 ने न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना ईकबाल जबाब दावा पेश किया जिसमे अंकित किया कि अगर मुताबिक वाद डिक्री किया जाता है तो हमें कोई आपति नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायात 13 नें आपस मे समझौता कर लिया है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायात 13 ने अपने इकबाल जबाब में भी अंकित किया है कि मुताबिक बाद डिक्री कर दिया जाये। खसरा नम्बर 292 [illegible] /2 भाग पर यशपाल पुत्र रामचन्द्र का अंकन हो रहा है वो गलत हो रहा है। रा[illegible] यशपाल के [illegible] का नाम था। इसके स्थान पर यशपाल पुत्र रामकुमार जमाबन्दीयात में दुरूस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:04:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं दस्तावेजात,जमाबन्दीयात जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 व इकबाल जबाब का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादी व पत्रावली के अवलोकन से वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण इस कदर डिक्री किया जाता है कि आराजीयात हाल खसरा नम्बरान 542/0.2908, 543/0.2908, 552/0.2275 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.8092 हैक्टयर वाके ग्राम कानी तहसील कोटकासिम को वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व आराजीयात हाल खसरा नम्बरान 292/0.4679, 294/0.3414 हैक्टयर कुल किता 2 रकबा 0.8093 हैक्टयर वाके ग्राम कानी तहसील कोटकासिम जिला अलवर का प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायात 13 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे इसी कदर राजस्व रिकोर्डस मे अमल दारामद कर अलग अलग खाता कायम किया जावे व खसरा नम्बर 292, 294 के 1/2 भाग पर जो अंकन यशपाल पुत्र रामचन्द्र किया हुआ है, उसे हजफ कर उसके स्थान पर यशपाल पुत्र रामकुमार दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2021 को कैम्प कोर्ट में टंकित कर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी)
कोटकासिम (अलवर)
कोटकासिम(अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:04:00 IST
Reason: SelfAttested